

Ar. G. K. Lal
30/4/15

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 1(7)न्याय/2014

जयपुर, दिनांक 28 APR 2015

-:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र०स०	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1.	अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 35, जयपुर महानगर मुख्यालय आमेर	जयपुर महानगर	आमेर

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 7 (2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक माहेश्वरी)

प्रमुख शासन सचिव

::राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ::

क्रमांक/सामान्य/11/14/2008(S)/ 527

दिनांक 30/04/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/ स्था.रा.न्या.से./ अधी.न्यायालय स्था./ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ अंक मिलान लिपिक/ कम्प्युटर सेल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

30/4/15

रजिस्ट्रार(नियम)